12

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 18/17

तारीख रजू :– 09.03.2017

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य

आर.ए.एस.

मुक्ति देवी पत्नी पॉचूराम, जाति मीना, निवासी जिन्सी का पुरा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

वादीया

बनाम

1 हिफजुर्रहमान पुत्र हकीम हबीबुर्रहमान जाति मुसलमान, निवासी काजीपाडा टोडाभीम तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

2 तहसीलदार (सब रजिस्ट्रार) टोडाभीम जिला करौली राज0।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट :– वादीया

2 जाकिर खॉन एडवोकेट :– प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक– 16.05.2017

दावे के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया ने अपने वाद पत्र में यह दर्ज किया है कि आराजी हाल ख0नं.2677 रकबा 10 ऐयर भूमि जो ग्राम 11बिस्वा टोडाभीम में स्थित है। जिसमें वादीया का 3/10 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं0 1 का 7/10 हिस्से की रिकार्डेड खातेदारी काश्तकार तथा मौके पर वादीया की भूमि सडक के सहारे स्थित है। तथा मौके पर वादीया एवं प्रतिवादी नं0 1 ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। लेकिन विधिवत् बंटवारा नही

Scanned by CamScanner

13

होने के कारण वादीया एवं प्रतिवादी नं0 1 के मध्य डोल मेढ का विवाद बना रहता है। वादीया ने इस साल अपनी भूमि में सरसो की फसल काश्त की जो वादीया ने ही दरोह की है। वादीया द्वारा दिनांक 03.03.2017 को प्रतिवादी नं0 1 से तहसीलदार टोडाभीम के यहॉ चलकर जमीन का बंटवारा कराने को कहा, लेकिन प्रतिवादी नं0 1 के तहसील में चलकर बंटवारा करने से साफ इंकार कर देने के कारण वादीया को यह दावा बाबत् तकास्मा आराजी एव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना पडा।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, प्रतिवादी नं0 1 मय अधिवक्ता श्री जाकिर खॉन एडवोकेट उपस्थित होकर जबाव दावा प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी नं0 1 द्वारा अपने जबाव दावे में वादीया के दावे को स्वीकार करते हुये, मुताबिक कब्जा वादीया एवं प्रतिवादी नं0 1 का बंटवारा कर फाइनल डिक्री पारित करने में कोई आपत्ति दर्ज नही की, वादी एवं प्रतिवादी दोनो ही विवादित आराजी जो शामलाती की है, को बंटवारा कराने हेतु तैयार होने के कारण पत्रांवली में तनकीयात की आवश्यकता नही है। इसलिये पत्रांवली को साक्ष्य वादी में नियत की गई।

वादीया ने अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में वादीया के बयान पी.डब्ल्यू.–1 तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 प्रदर्श–1 है, जो शामिल पत्रांवली है। वादीया ने अपने बयानो में मुताबिक कब्जा वादीया एवं प्रतिवादी नं0 1 का तकास्मा कराने का निवेदन किया और दावा वादीया डिक्री किया जावे तथा प्रतिवादी नं0 1 अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नही की और वादीया का दावा मुताबिक जबाव दावे के अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने व बंटवारा करने का निवेदन किया।

जिला कलेक्टर
भीम (करौली)

हमने दोनो पक्षकारो के अधिवक्ताओ की बहस सुनी तथा दस्तावेजो का अवलोकन किया, दोनो ही पक्षकार विवादित ख0नं0 2677 रकबा 10 ऐयर का

Scanned by CamScanner

14

मुताबिक हिस्सा व मुताबिक कब्जा के तकास्मा कराना चाहते है। जिसमें किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नही है। इसलिये पत्रांवली को राजस्व शिविर भनकपुरा में सुनवाई व फैसले हेतु रखा गया। वादीया का दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः दावा वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण तकास्मा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राथमिक डिक्री किया जाकर आराजी ख0नं0 2677 रकबा 10 ऐयर स्थित ग्राम 11बिस्वा तह0 टोडाभीम में वादीया का 3/10 हिस्सा को तथा प्रतिवादी नं0 1 का 7/10 हिस्सा का मुताबिक कब्जा व मुताबिक हिस्सा अलग से खाता कायम कर तहसीलदार टोडाभीम को 250रूपये फीस पर बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम बंटवारा कमिश्नर को आदेश दिये जाते है कि वे आराजी ख0नं0 2677 रकबा 10 ऐयर का वादीया का 3/10 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं0 1 का 7/10 हिस्से का बंटवारा स्कीम तैयार कर मय नक्शा ट्रेश दो प्रतियों में अविलम्ब न्यायालय हाजा में भिजवाई जावे, पर्चा प्राथमिक डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय शिविर कैम्प भनकपुरा में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलक्टर टोडाभीम

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner